



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17112022-240358  
CG-MH-E-17112022-240358

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5121]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944

No. 5121]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 16 नवम्बर, 2022

का आ 5347(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप-खंड (1) खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले में नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना नाम कि विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम कि धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपर कलेक्टर व सक्षम अधिकारी रतलाम, जिला-रतलाम (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में किया जावेगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आपेक्षकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी आक्षेपों कि सुनवाई और जाँच करने के पश्चात, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों लिए अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम कि धारा 20घ कि उप-धारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का नक्शा(प्लान), अपर कलेक्टर व सक्षम अधिकारी रतलाम, जिला-रतलाम (मध्यप्रदेश) एवं उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे, रतलाम के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकेगा।

### अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना नाम कि विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:-

#### जिला - रतलाम

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.न.	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल		भूमि का प्रकार सिंचित/ अंसिंचित	रिमार्क
					स्क्वेयर मीटर में	हेक्टेयर मे		
01	रतलाम	करौदा	21	83/2	70.00	0.007	सिंचित	-
02	रतलाम	करौदा	21	83/3	480.00	0.048	सिंचित	-
03	रतलाम	करौदा	21	131	290.00	0.029	असिंचित	-
04	रतलाम	करौदा	21	132	40.00	0.004	असिंचित	-
05	रतलाम	करौदा	21	133	30.00	0.003	असिंचित	-
06	रतलाम	करौदा	21	125	930.00	0.093	सिंचित	-
07	रतलाम	करौदा	21	113	660.00	0.066	सिंचित	-
08	रतलाम	करौदा	21	108/1	5870.00	0.587	सिंचित	नलकूप-01 चालू, 500 फीट गहरा
09	रतलाम	करौदा	21	107	640.00	0.064	सिंचित	-
योग				09	9010.00	0.901		

[फा. सं. ई-ऑफिस E 259252-4]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य अभियंता /निर्माण-III

## MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

### NOTIFICATION

Mumbai, the 16th November, 2022

**S.O. 5347(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (herein after referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of Nimach-Ratlam doubling Project in Ratlam District of the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Deputy Collector, Ratlam, District- Ratlam (M.P.), in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Map (plan) of the land coming under this notification can be seen in the office of Deputy Collector & Competent Authority, Ratlam and Deputy Chief Engineer (Construction) Office, Western Railway, Ratlam.

### SCHEDULE

**Brief description of land with or without structure to be acquired for special Railway project named Nimach-Ratlam Doubling Project.**

**Name of District : Ratlam**

S.No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H. No.	Khasara No.	Acquired Land Area		Type of Land Irrigated / Unirrigated	Remark
					In Sqm.	In Hect.		
01	Ratlam	Karoda	21	83/2	70	0.007	Irrigated	-
02	Ratlam	Karoda	21	83/3	480	0.048	Irrigated	-
03	Ratlam	Karoda	21	131	290	0.029	Unirrigated	-
04	Ratlam	Karoda	21	132	40	0.004	Unirrigated	-
05	Ratlam	Karoda	21	133	30	0.003	Unirrigated	-
06	Ratlam	Karoda	21	125	930	0.093	Irrigated	-
07	Ratlam	Karoda	21	113	660	0.066	Irrigated	-
08	Ratlam	Karoda	21	108/1	5870	0.587	Irrigated	Tubewell-01 No., 500 feet Deep
09	Ratlam	Karoda	21	107	640	0.064	Irrigated	-
<b>TOTAL</b>				<b>09</b>	<b>9010</b>	<b>0.901</b>		

[F. No. E-Office E 259252-4]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Engineer (Construction) III